

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक: प. 11(2)गृह-1/2007

जयपुर, दिनांक 3 AUG 2018

आज्ञा

राजस्थान पुलिस दूरसंचार सेवा में कार्यरत पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं उप अधीक्षक की दिनांक 01.04.2018 की स्थिति दर्शाते हुए अस्थाई (प्रोविजनल) वरिष्ठता सूची निम्नानुसार जारी की जाती है:-

क्र.सं.	नाम अधिकारी	वर्ग	पदनाम	जन्म तिथि	चयन वर्ष
1.	मोहन लाल शर्मा	सामान्य	पुलिस अधीक्षक	11.01.59	2014-15
2.	शैलेन्द्र कुमार गौड़	सामान्य	अति० पुलिस अधीक्षक	24.07.58	2014-15
3.	हेमराज मीना	एस.टी.	पुलिस उप अधीक्षक	10.07.72	2005-06
4.	दौलतराम अटल	एस.सी.	पुलिस उप अधीक्षक	05.07.73	2010-11
5.	मदनलाल	सामान्य	पुलिस उप अधीक्षक	25.11.71	2011-12
6.	राकेश कुमार	सामान्य	पुलिस उप अधीक्षक	19.07.71	2011-12
7.	नीतू बुगालिया	सामान्य	पुलिस उप अधीक्षक	06.07.77	2012-13
8.	महेश शर्मा	सामान्य	पुलिस उप अधीक्षक	01.07.1974	2013-14
9.	वेद प्रकाश	सामान्य	पुलिस उप अधीक्षक	17.10.1970	2013-14
10.	अश्वनी कुमार	एस.सी.	पुलिस उप अधीक्षक	20.09.1973	2014-15
11.	गोविन्द सहाय	सामान्य	पुलिस उप अधीक्षक	25.09.1958	2014-15

इस वरिष्ठता सूची के सम्बन्ध में यदि किसी अधिकारी को आपत्ति हो तो महानिदेशक पुलिस, राजस्थान तथा निदेशक, पुलिस दूरसंचार विभाग के माध्यम से अथवा सीधे ही अद्योहस्ताक्षकर्ता को वरिष्ठता सूची जारी होने की तिथि से 15 कार्य दिवस की अवधि में प्रेषित कर सकते हैं। उक्त अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाली आपत्ति पर विचारण नहीं किया जावेगा तथा उक्त स्थिति के अनुसार अन्तिम वरिष्ठता सूची जारी कर दी जावेगी।

आज्ञा से,

Sd.
(रामनिवास मेहता)

संयुक्त शासन सचिव, पुलिस

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह।
2. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान जयपुर।
3. निदेशक, पुलिस दूरसंचार विभाग, राजस्थान, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त वरिष्ठता सूची सम्बन्धित अधिकारियों को तत्काल डिलीवर करावें तथा निर्धारित अवधि में प्राप्त आपत्तियों को इकजाई कर अपनी टिप्पणी सहित इस विभाग को भिजवावें।
4. वरिष्ठ शासन उप सचिव, गृह (समन्वय) विभाग को उक्त वरिष्ठता सूची गृह विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. सम्बन्धित अधिकारीगण मार्फत निदेशक, दूरसंचार पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

Sd.
218/18

संयुक्त शासन सचिव, पुलिस